न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–116/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00169)

01. जगराम रावत पुत्र छीतरमल, जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुरजा, तहसील बानसूर जिला अलवर हाल निवासी कोटपूतली, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. जगदीश पुत्र बुद्धराम जाति खाती,
02. मुन्नालाल, पुत्र बुद्धराम जाति खाती
03. श्रीमती गुलाब पत्नी प्रहलाद,
04. ताराचन्द पुत्र प्रहलाद,
05 राकेश पुत्र प्रहलाद,
06. कृष्ण पुत्र प्रहलाद,
07. तारामती पत्नी रतनलाल,
08. सतीश पुत्र रतनलाल,
09. रमेश पुत्र बुद्धराम, समस्त जाति खाती निवासी मौहल्ला बड़ागांव, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
10. बनारसी देवी पत्नी होशियर मल, जाति खाती निवासी ग्राम मान्दरी, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
11. तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 26.03.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2012 (प्रकरण संख्या 23/2008) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नही दिया कि स्वयं रेस्पोडेन्ट ने घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज हेतु एक नियमित राजस्व वाद संख्या 305/06 उनवानी "जगदीश बनाम बनारसी देवी" पेश कर रखा है, उक्त नियमित वाद में अपीलान्ट क्रेता जगराम ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2006 के आधार पर बनारसी देवी को प्रतिवादी हटाया जाकर स्वयं को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने अपने आदेश दिनांक 25.09.2006 के द्वारा विक्रेता बनारसी का नाम हटाकर अपीलान्ट क्रेता जगराम का नाम प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया था तथा उपखण्ड अधिकारी कोटपतली का उक्त आदेश दिनांक 25.09.2006 आज तक कायम

संभागीय आयुक्त

स्थिति में वर्तमान रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के न्यायालय में आज भी विचाराधीन है तथा कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि पक्षकारों के अधिकारों का निस्तारण नियमित राजस्व वाद के द्वारा ही तय किये जा सकते है तथा नामान्तरकरण की समरी प्रोसिडिंग्स में पक्षकारों के अधिकार तय नही होते है तथा राजस्व मण्डल ने तो यह तक सिद्धान्त प्रतिपादित किये हुये है कि नियमित राजस्व वाद के आधार पर एवं अन्य किसी भी आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण को निरस्त नही किया जा सकता है जबकि तक सक्षम सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त नही करा दिया जाता है तब तक नामान्तरकरण निरस्त नही किया जा सकता है इन सभी कारणों से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सन् 1966 को निर्वाचन सूची में क्रम संख्या 300 पर श्योदान पुत्र देवीसहाय एवं क्रम संख्या 301 पर रामबाई पत्नी श्योदान दर्ज है जिससे भी रेस्पोडेन्ट के कथन असत्य साबित होता है कि श्योदान अविवाहित था, लाऔलाद फौत हुआ था जबकि वास्तविकता एवं सत्यता यह है कि श्योदान पुत्र देवी सहाय का विवाह रामबाई से हुआ था तथा उसके एकमात्र पुत्री बनारसी देवी हुई जो 1/2 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा बनारसी देवी ने पूर्णतया विधिक रूप से अपने 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 07.08.2006 को बेचान अपीलार्थी जगराम के पक्ष में किया था तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के कायम रहते हुये नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 14.02.2008 को अनुचित एवं अवैध रूप से खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट एक सद्भावी क्रेता है तथा उसने कृषि भूमि की 1/2 हिस्से की खातेदार बनारसी देवी से प्रतिफल देकर आराजी को क्रय किया गया है एवं उसी के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 132 तस्दीक हुआ है एवं किसी भी कानून के अन्तर्गत अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण में अन्य सह खातेदारी 1/2 हिस्से के खातेदार बुद्धराम भाई श्योदान पिता बनारसी के वारिसान वर्तमान रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर देने का कतई कोई औचित्य ही नही है तथा न ही ऐसा कोई कानून में प्रावधान नही है फिर भी प्रकरण को पेचीदा करने एवं पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी को बढाने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को रिमाण्ड करने में गंभीर कानूनी भूल की है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रथम अपीलीय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के नामान्तरकरण में मृतक श्योदान एवं उसकी पुत्री बनारसी देवी की विरासत सम्बन्धी जॉच करने का किसी भी तरह की टीका टिप्पणी का क्षेत्राधिकार नही था तथा न ही इन आधारों पर अपीलान्ट

अपील को दावे की भांति बिन्दू बनाते हुये इस प्रकार निर्णित की है जिस प्रकार से वाद का निस्तारण कर रहे हो, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2012 को निरस्त फरमायी जाकर अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 14.02.2008 को यथावत कायम रखा जावे, साथ ही रेस्पोडेन्ट्स के अधिकारों का विनिश्चिय उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में तय होने पर निर्धारित किये जाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 एवं 11 की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के अधिवक्ता ने अपीलान्ट की अपील के तथ्यों का समर्थन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में अपनी सहमति दी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी भी पक्षकार के हक, हकूक, अधिकार तय नही होते है तथा उभयपक्षकारान के मध्य दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के हक, हकूक, अधिकार तय होने अभी शेष है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को विभिन्न न्यायालयों के विचाराधीन वाद अपील आदि में कोई स्थगन तो नही है इन सभी तथ्यों को जानकारी कर प्रत्येक तथ्य की तथा मौके की जानकारी कर सभी प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है, ऐसी स्थिति अपीलान्ट अपना पक्ष समर्थन तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2012 को अनुचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2012 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।